

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०

दिनांक

23.3.18 परामर्श के वकील उपा
 अर्थात् No 10 नववीं रोड है खरीप
 पत्रावली 10 व 11/11.5.18 को खरीप

11.5.18

पत्रावली पश हुई। बरुल्लव फरीकन उप।
 आहवा पत्रावली केम कोर्ट/ ब्लोक अदा
 में दिनांक 28.5.18 को पेश ली।

एस डी जी/ रीडर

परामर्श

28.5.18 परामर्श कोर्ट में पेश हुई। मादी व उपा
 आहवा पत्रावली का प्रमाण स्विकार
 किया गया है। तदनुसार कोर्टका निर्णय को शरीक
 किया गया है कि विवाह के कारण उपा पत्रावली का
 1.5900, 418 (2.0200, 423/0.3200) का
 पत्रावली अर्थात् तदनुसार कोर्टका निर्णय को
 पुनः प्रमाणित कर परामर्श कोर्ट में पेश
 की गई कार्यवाही से बतलाव करावे। (इसका
 जखरी ही। परामर्श कोर्टका निर्णय को
 ले कर हो कर तदनुसार कोर्टका निर्णय है।

उप खण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (अलवर)